(100)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प0 3(43)नविवि/3/09 पार्ट — जयपुर दिनांक 19 JUN 2009

परिपत्र

विषयः— राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी की क्रियान्विति के संबंध में।

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(43)नविवि/3/09 दिनांक 25.2.09 के बिन्दु संख्या-17 को अब निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा :-

"जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे समस्त प्रकरण जिनका भू-उपयोग परिवर्तन क्षेत्र 1500 वर्गमीटर से अधिक है से संबंधित समस्त भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन इस विभाग के आदेश क्रमांक प.10( )नविवि/III/0 दिनांक 27.8.08 की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकेगा।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को निर्णय हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष रखे जायेंगे। 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को निर्णय हेतु राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।"

भवदीय,

(एस.ए.फारूकी)
शासन उप सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. सभी संभागीय आयुक्त।
8. सभी जिला कलेक्टर।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, उपशासन सचिव प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक
11. मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
12. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
13. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय

(247)